(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशन के लिए)

संख्या I/20012/07/2005-रा.भा.(नीति-1)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली, दिनांक: 02 जुलाई, 2008

संकल्प

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई थी । समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राष्ट्रपति के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालयवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कंम्प्यूटरीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित प्रतिवेदन का आठवां खण्ड़ राष्ट्रपति जी को दिनांक 16.08.2005 को प्रस्तुत किया गया । राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अंतर्गत इसे लोकसभा के पटल पर दिनांक 15.05.2007 तथा राज्य सभा के पटल पर दिनांक 16.05.2007 को रखा गया था । इसकी प्रतियां भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप से या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है । तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(4) के अंतर्गत समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के निम्नलिखित आदेश सूचित करने का निदेश हुआ हैः

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
1.	भाग-1 अध्याय-2 में समिति द्वारा की गई टिप्पणियों के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाये जायें, यथा :- (क) सभी केन्द्रीय कार्यालय निर्धारित लक्ष्य के अनुसार देवनागरी के यांत्रिक उपकरण खरीदें तथा उन्हें प्रयोग में लायें ।	**यह सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
	(ख) प्रशिक्षण संस्थानों के मुख्य अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में उल्लेख किया जा सकता है कि उन्होंने वहां हिंदी के प्रयोग के लिए क्या विशेष कार्रवाई की ।	**यह सिफारिश स्वीकार की जाती है । सिफारिश हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए केवल सकारात्मक (positively) रूप से लागू की जाए। इस प्रकार के उल्लेख से किसी अन्य अधिकारी का कोई अहित न हो ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
	(ग) उच्च न्यायालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए । आरंभ में "क" क्षेत्र में सभी निर्णय हिंदी में ही दिए जाए तथा धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों में इन्हें लागू किया जाए ।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि राजभाषा विभाग विधायी विभाग तथा 18वें भारतीय विधि आयोग का परामर्श लेकर इस संबंध में उचित निर्णय लें ।**
	(घ) हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठकें आयोजित की जाएं ।	**यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/विभाग हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम दो बैठकें तो अवश्य आयोजित करें । इससे अधिक बैठकों के आयोजन के लिए भी सभी प्रयास करें ।**
	(च) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा पिछले खंडों में की गई सिफारिशों पर पारित किये गये राष्ट्रपति के आदेशों का कार्यान्वयन सभी केन्द्रीय कार्यालयों के लिए बाध्यकारी हो ।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है । सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विभिन्न खंडों में की गई सिफारिशों पर पारित किये गये राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण कार्यान्वयन करें ।**
2.	गृह मंत्रालय, कोयला एवं खान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय के आकलन से पता चलता है कि 25% से अधिक अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में अप्रशिक्षित हैं, इन मंत्रालयों को चाहिए कि वह स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कंप्यूटर प्रणाली अथवा पत्राचार से प्रशिक्षण का कार्य वर्ष भर में पूरा करवायें। राजभाषा विभाग अपनी हिन्दी शिक्षण योजना के तहत इन विभागों के लिए विशेष योजना बनाकर इस कार्य में सहयोग दे ।	**संबंधित मंत्रालय केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों या विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से स्वयं हिंदी सीखने के लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट (www.rajbhasha.gov.in) पर उपलब्ध कराये गये आनलाइन 'लीला' साफ्टवेयर के माध्यम से शेष बचे अप्रशिक्षित कार्मिकों को अति शीघ्र हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण दिलवायें ।**
3.	सचिव (राजभाषा), मंत्रालयों/विभागों आदि में राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के उल्लंघन की स्थिति को संबंधित 18 मंत्रालय/ विभागों के सचिवों के साथ उठायें।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
4(क)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पोत परिवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय और कृषि मंत्रालय में बड़ी संख्या में अंग्रेजी के कोड/मैनुअलों को देखते हुए इन मंत्रालयों में विशेष कार्य बल गठित किया जाना चाहिए, जिनमें केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग तथा विभागीय हिन्दी अनुवादकों और तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए ताकि इन कोड/मैनुअलों का अनुवाद एक साल के भीतर पूरा हो जाए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
4(ख)	परमाणु ऊर्जा विभाग; रसायन और उर्वरक मंत्रालय; विद्युत मंत्रालय; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; योजना मंत्रालय; गृह मंत्रालय; मानव संसाधन विकास मंत्रालय; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय ठेके के आधार पर इन कोड/मैनुअलों का अनुवाद गैर-सरकारी एजेंसियों से करवायें और इस कार्य को 6 से 9 महीने के भीतर पूरा करवायें।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि किए गए अनुवाद की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से वैटिंग का कार्य करवाया जाए ।**
4(ग)	शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय; कोयला एवं खान मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय; रेल मंत्रालय; जल संसाधन मंत्रालय; युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; वित्त मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय एक कार्य-योजना बनाकर छः महीने के भीतर सभी कोड/मैनुअलों को द्विभाषी कर लें ।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि किए गए अनुवाद की प्रमाणिकता बनाए रखने के लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से वैटिंग का कार्य करवाया जाए ।**
4(घ)	विधि और न्याय मंत्रालय; विदेश मंत्रालय; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय; पर्यावरण एवं वन मंत्रालय; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; महासागर विकास विभाग; भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय; जनजातीय कार्य मंत्रालय; ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा वस्त्र मंत्रालय अंग्रेजी में उपलब्ध कोड/मैनुअलों को स्वयं तीन महीने में अनुवाद कराने की व्यवस्था करायें।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि किए गए अनुवाद की प्रमाणिकता बनाए रखने के लिए राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से वैटिंग का कार्य करवाया जाए ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
5.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अंग्रेजी प्रकाशन हिन्दी के प्रकाशनों से बहुत ज्यादा हैं। ऐसी स्थिति में इन मंत्रालयों के सचिव अपने अधीनस्थ संस्थानों में इस विषय पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें ताकि स्थिति में सुधार हो सके।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
6.	सेवा पंजिकाओं/सेवा अभिलेखों में हिन्दी/द्विभाषी रबड़ स्टाम्प की सहायता से रूटीन प्रविष्टियाँ की जाएं। इन रबड़ की मोहरों को देश के सभी केन्द्रीय कार्यालयों में प्रयोग हेतु मानकीकृत किया जाए। फलतः रूसमस्त/यथासंभव प्रविष्टियां- करने संबंधी प्रावधान को हटाया जा सकता है ।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है । कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे ।**
7.	"ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए भी रजिस्टरों में प्रविष्टियों का न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित किया जाए और रजिस्टरों में हिन्दी में यथासंभव प्रविष्टियों जैसा प्रावधान समाप्त कर दिया जाए।	**सिफारिश आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि "ग" क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालय इस दिशा में अपने यथासंभव प्रयास जारी रखे ।**
8.	नवसृजित राज्यों - छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड"क" क्षेत्र में ही रखा जाए। इस संबंध में राजभाषा विभाग राजभाषा नियम, 1976 में यथावश्यक संशोधन करने की कार्रवाई करे।	**सिफारिश पर वांछित कार्रवाई कर ली गई है ।**
9.	कार्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए तथा वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर जांच बिन्दु बनाए जाने चाहिए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
10.	जिन मंत्रालयों के अधीनस्थ कार्यालयों में (कुल 12 मंत्रालय/विभाग) में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन 90% से भी कम है उन कार्यालय प्रमुखों के साथ मंत्रालय/विभाग के सचिव व्यक्तिगत रूप से मामला उठाएं ।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
11.	कार्यालयों में जब कभी भी हिन्दी कार्यशाला आयोजित की जाए, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) की अनिवार्यता पर हर कार्यशाला में कुछ समय आबंटित किया जाए। इसके अलावा सामान्य आदेश के संबंध में अधिकतम चर्चा की जाए जिससे इस मद में आने वाले सभी कागजातों की जानकारी प्रदान की जा सके।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
12.	समिति ने चौथे खंड में सिफारिश की थी कि "क" क्षेत्र में केवल संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजातों को छोड़कर सभी कागजात केवल हिन्दी में जारी किए जाएं। "क" क्षेत्र में अद्यतन स्थिति को देखते हुए समिति पुनः यह सिफारिश करती है कि उपरोक्त कागजातों के अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों के संबंध में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। जिन राज्यों में अभी तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है गृह मंत्रालय द्वारा पहल करके उनसे चर्चा की जाए कि वह अपने राज्य की राजभाषा के साथ-साथ हिन्दी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान करें।	**वर्तमान में इस सिफारिश के संबंध में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(5) में किए गए प्रावधानों के अनुसार अनुपालन ही जारी रहे ।**
13.	राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से हिन्दी/भाषा/आशुलिपि/टाइपिंग प्रशिक्षण का सघन अभियान चलाकर प्रशिक्षण सुविधाओं को प्रत्येक कार्यालय तक पहुँचाए।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि भारत सरकार के सभी कार्मिकों को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपना यथासंभव सहयोग दे ।**
14.	"ग" क्षेत्र में दक्षिण भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिन्दी प्रशिक्षण के लिए कम्प्यूटर प्रणाली पर आधारित "ऑन-लाइन" हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
15.	तिरूवनंतपुरम, कासरगोड, कोल्लम, अलपूजा, त्रिच्चापल्ली, मदुरै, ऊटी, पुरी, कटक, गंगटोक, सिलीगुड़ी, मैसूर, बैंगलूर, कोजिक्कोड, शिमला, सूरत तथा मंगलौर में हिन्दी शिक्षण योजना के तहत हिंदी आशुलिपि एवं हिंदी टंकण के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
16.	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों के आयोजन में व्यय होने वाली राशि की सीमा रूपये 3000/- से बढ़ाकर रूपये 10,000/- कर देनी चाहिए अथवा सदस्य कार्यालयों द्वारा लिए जाने वाले योगदान को संहिता-बद्ध (कोडिफाई) किया जाए ताकि सदस्य कार्यालयों को इस राशि की मंत्रालयों/मुख्यालयों से स्वीकृति आदि प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में होने वाले व्यय की सीमा समय-समय पर समीक्षा करके आवश्यकतानुसार संशोधित की जाए ।**
17.	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रभावी संचालन हेतु नराकास सचिवालय को स्थाई तौर पर अतिरिक्त मानव संसाधन एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाना चाहिए।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने सदस्य-कार्यालयों के सहयोग से उनके पास उपलब्ध आंतरिक संसाधनों से ही समितियों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं जुटाएं ।**
18.	प्रत्येक क्षेत्र में राजभाषा गतिविधियों को बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष नराकास अध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए तथा राजभाषा नीति व लक्ष्यों के निर्धारण के मामले में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि इस प्रकार की बैठकें वार्षिक आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की जाएं ।**
19.	हिंदीतर भाषी क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में हिन्दी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा इनसे जुड़े हिन्दी पत्रकारों के प्रोत्साहन हेतु विशेष योजनाएं चलाई जाएं।	**सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है ।**
20.	नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि नराकास की बैठकों में राजभाषा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधित्व यथासंभव सुनिश्चित किया जाए।**
21.	क्षेत्र "ग" में स्थित प्रत्येक केन्द्रीय कार्यालय में कम से कम एक हिन्दी स्टाफ की तैनाती अनिवार्य की जाए।	**इस सिफारिश के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा न्यूनतम स्टाफ की तैनाती संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाए।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
22.	अध्यक्ष, नराकास, मंडी, अध्यक्ष, नराकास (बैंक), इंदौर, अध्यक्ष, नराकास,शिमला, अध्यक्ष, नराकास(कार्यालय),चंडीगढ़, अध्यक्ष, नराकास (उपक्रम), मुबंई, अध्यक्ष, नराकास (बैंक), बडोदा, अध्यक्ष, नराकास (कार्यालय), त्रिवेन्द्रम, अध्यक्ष, नराकास(कार्यालय),कोचिन, अध्यक्ष, नराकास, मदुरै, अध्यक्ष, नराकास,कोयम्बतूर, अध्यक्ष, नराकास (बैंक),बेंगलोर (अध्याय 8 के पैरा 8.33-8.45 में) द्वारा दिए गए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों से प्राप्त सुझावों पर राजभाषा विभाग उचित कार्यवाही करें।	**सिफारिशों पर राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यथासंभव अनुपालन किया जाए ।**
23.	मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को उनका विनिर्दिष्ट कार्य करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी करने के साथ-साथ उन्हें अपना समस्त कार्य हिन्दी में करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
24.	भविष्य में कोई भी कोड/मैनुअल केवल अंग्रेजी में तैयार न किया जाए और इस समय अंग्रेजी में मौजूद समस्त कोड/मैनुअल एक वर्ष के भीतर द्विभाषी करा लिए जाएं ।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
25.	"क" क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि में 50%, "ख " क्षेत्र के कार्यालयों में 30% और "ग " क्षेत्र के कार्यालयों में 20% अनुभागों को पूरा काम हिन्दी में करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि के बारे में जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, समिति अनुशंसा करती है कि ऐसे उपक्रमों/निगमों आदि में " क " क्षेत्र में कुल कार्य क्षेत्र का 50%, "ख " क्षेत्र में 30% और "ग " क्षेत्र में 20% कार्य हिन्दी में किया जाए।	**केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय/उपक्रम/निगम आदि इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ठोस कदम उठायें ।**
26.	कार्यालयों में सरल, सुबोध एवं उपयोगी हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाए। अधिकारियों/कर्मचारियों को पठन-पाठन हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े सेनानियों, देशभक्तों तथा शहीदों की जीवनियां एवं आत्मकथाएं तथा रोचक एवं कालजयी (epic) उपन्यास आदि भी खरीदे जाएं।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
27.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के साथ राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 के उल्लघंन के मामले को उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार का उल्लघंन न होने पाए। इसी प्रकार सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के साथ; सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के साथ; सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध परिषद, नई दिल्ली और भारतीय चिकित्सा पद्धति, नई दिल्ली के साथ; और सचिव, कृषि मंत्रालय, भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली के साथ मामले को उठाएं और राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का अनुपालन सुनिश्चित करें।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
28.	राजभाषा से संबंधित नियमों इत्यादि के कार्यान्वयन को उचित गंभीरता से लेने के उद्देश्य से केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में करवाई जाए और सभी विभागों के सचिव इस समिति के सदस्य हों।	**सिफारिश विचाराधीन है ।**
29.	तकनीकी, वैज्ञानिक, शोध व अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों से संबंधित हिन्दी साहित्य को एक जगह उपलब्ध कराने के लिए सरकार शीघ्र ही वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी पुस्तक -बैंकों की स्थापना करे जो ऐसी पुस्तकों/साहित्य को प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ता संस्थानों को उपलब्ध कराएं अथवा उन्हें प्राप्ति स्रोतों की जानकारी दें।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी मंत्रालय/विभाग अपने कार्य से संबंधित तकनीकी, वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान से जुड़े विभिन्न विषयों पर पर्याप्त हिंदी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित करें एवं उनके प्राप्ति स्त्रोतों की जानकारी अपनी वेबसाइट के साथ-साथ अन्य संभव साधनों द्वारा प्रयोक्ताओं एवं उपभोक्ताओं को दें ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
30.	वैज्ञानिक, तकनीकी व शोध से संबंधित विषयों पर उपलब्ध समस्त साहित्य का वृहत् स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि उपभोक्ता संस्थान अपनी कार्य प्रकृति के अनुसार हिन्दी में उपलब्ध साहित्य आसानी से प्राप्त कर सकें। इस प्रक्रिया को नियमित अन्तराल पर दोहराते रहना चाहिए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है । सभी मंत्रालय/विभाग अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी एवं शोध से संबंधित विषयों पर उपलब्ध साहित्य के प्रचार को अपनी प्रचार गतिविधियों का नियमित हिस्सा बनाएं ।**
31.	अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध शोध साहित्य अथवा वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य का स्तरीय हिन्दी अनुवाद सुलभ कराने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के तहत् एक गहन वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की जाए, जिसमें विभिन्न प्रकार के विज्ञान विषयों के स्नातकोत्तर एवं/अथवा विभिन्न इंजीनियरी डिग्री धारकों को, जिन्हें हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान हो अथवा जो ऐसे विषयों का स्तरीय हिन्दी रूपान्तर देने में सक्षम हों, नियुक्त किया जाए। ऐसे विशेषज्ञ तकनीकी अनुवाद अधिकारियों को सहायक निदेशक (रा0भा0) के समकक्ष अथवा इससे उच्चतर वेतनमान दिया जाए।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सिफारिश के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध शोध साहित्य अथवा वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य के स्तरीय हिंदी अनुवाद सुलभ कराने के उद्देश्य को प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के द्वारा पूरा करें ।**
32.	विज्ञान/तकनीकी/शोध से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक रूप से लिखने वाले ऐसे लेखकों को समुचित रायल्टी का प्रावधन किया जाए, जिनकी पुस्तकों का संस्थानों में नियमित रूप से कार्यात्मक अथवा पाठ्यक्रम के रूप में उपयोग किया जाता हो ।	**प्रत्येक लेखक के लेखन-अधिकार कापी-राइट एक्ट के अंतर्गत सुरक्षित होते हैं । पुस्तकों पर लेखकों को मिलने वाली रायल्टी एक लेखक तथा प्रकाशक के बीच परस्पर समझौता है। इसमें केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है । अतः सिफारिश मान्य नहीं ।**
33.	"क" एवं "ख" क्षेत्र में उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयों में इंजीनियरी, कम्प्यूटर, शोध, तकनीकी विषयों आदि की शिक्षा हिन्दी माध्यम से भी दी जाए एवं पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें भी हिन्दी में तैयार की जाएं।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
34.	वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 में तथा उसके पश्चात राजभाषा विभाग ने पुस्तकों की खरीद के संबंध में पूर्व निर्धारित लक्ष्य में संशोधन कर इसमें जर्नल्स एवं मानक संदर्भ पुस्तकों की खरीद पर व्यय को शामिल नहीं किया है। समिति इस संशोधन पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस करती है, क्योंकि यदि यह छूट अनिश्चित समय के लिए लागू रही तो इसका हिन्दी के दूरगामी उद्देश्य पर विपरीत असर पड़ेगा।	**वर्तमान में यथास्थिति बनाए रखी जाए ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
35.	हिंदी पुस्तकों की खरीद के मामले में गैर-तकनीकी/प्रशासनिक कार्यालयों के लक्ष्य से पीछे रहने संबंधी कारणों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा ऐसे कार्यालयों पर सतत निगरानी रखी जानी चाहिए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
36.	उप सचिव या उन उच्चाधिकारियों के लिए जिन्हें कम्प्यूटर उपलब्ध करवाया गया है, कम्प्यूटरों पर हिन्दी के उपयोग का कम से कम एक सप्ताह का क्रैश पाठ्यक्रम आयोजित किया जाये और "क ", "ख " तथा "ग " क्षेत्रों के आधार पर उनके लिए देवनागरी में कम्प्यूटर पर कार्य का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाये।	**संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार है कि उप सचिव/उच्चाधिकारियों के लिए लघु अवधि के द्रुतगामी पाठ्यक्रम आयोजित किये जाए और वे कंम्प्यूटर पर देवनागरी में अधिक से अधिक कार्य करें ।**
37.	किसी एक एजेंसी से मानकीकृत देवनागरी सॉफ्टवेयर बनवाया जाए जो केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों एवं उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के कार्यों में एकरूपता ला सके।	**केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय कम्प्यूटर पर देवनागरी प्रयोग के लिए केवल मानक एनकोडिंग (यानि यूनिकोड) फोंट प्रयोग करें एवं विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए वे साफ्टवेयर ही प्रयोग करें जो यूनिकोड एनकोडिंग मानक के अनुरूप प्रयोग में सक्षम हो ताकि सभी मंत्रालयों/विभागों एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के कार्यों में एकरूपता रहे ।**
38.	सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आँकड़ा संसाधन (Data Processing) का काम द्विभाषी या हिन्दी में हो, इसके लिए तथा सभी बैंकों के साफ्टवेयर में एकरूपता हो इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक/वित्त मंत्रालय ठोस कदम उठाएं।	**संस्तुति स्वीकार की जाती है वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग इस संबंध में कार्रवाई करें और हिंदी के लिए मानक एनकोडिंग (युनीकोड) के अनुरूप फोंट/साफटवेयर ही प्रयोग करें।**
39.	क्रेडिट कार्ड, ए.टी.एम. आदि सेवाओं को भी हिन्दी अथवा द्विभाषी करवाया जाये।	**सिफारिश सरकारी क्षेत्रों के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए स्वीकार की जाती है ।**
40.	वित्त मंत्रालय सभी बीमा कंपनियों द्वारा जारी की जाने वाली बीमा पॉलिसियों को हिन्दी अथवा द्विभाषी बनवाए जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करे।	**सिफारिश सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा अनुपालन के लिए स्वीकार की जाती है । बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय इस संबंध में कार्रवाई करे ।**
41.	एम.टी.एन.एल. तथा बी.एस.एन.एल. द्वारा जनता को भेजे जाने वाले बिलों में प्रविष्टियाँ हिन्दी अथवा द्विभाषी में की जाएं।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
42.	दूरदर्शन अपने हिन्दी चैनलों के कार्यक्रमों में शीर्षक (Caption) आदि हिन्दी में प्रसारित करे। इसके लिए उचित साफ्टवेयर की व्यवस्था की जाये।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
43.	रेल मंत्रालय तथा नागर विमानन मंत्रालय रेलवे प्लेटफार्मों तथा हवाई अड्डों पर सूचना प्रसारण हेतु लगाए गए डिजिटल बोर्डों में हिन्दी अथवा द्विभाषी सूचना के प्रसारण हेतु कार्रवाई करें।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
44.	जब भी कोई मंत्रालय/विभाग या उसका कोई कार्यालय या उपक्रम अपनी वेबसाइट तैयार करे तो वह अनिवार्य रूप से द्विभाषी तैयार किया जाए। जिस कार्यालय का वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है उसे द्विभाषी बनाए जाने की कार्रवाई की जाए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
45.	राजभाषा विभाग उपर्युक्त क्रम संख्या 34 से 43 तक सिफारिशों को पूरा करने के लिए विशेष निगरानी रखे और इनको पूरा करने में जिस किसी कार्यालय को कठिनाई आ रही है उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से दूर करने के लिए कार्रवाई करे।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
46.	केन्द्रीय सरकार की भर्ती हेतु आयोजित स्पर्धात्मक परीक्षाओं में कम से कम मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का हिन्दी का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, जिसमें उत्तीर्ण हुए बिना अभ्यर्थी को असफल माना जाए।	**सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।**
47.	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के तहत बड़े-बड़े मंत्रालयों/विभागों में निदेशक (राजभाषा) के पद यथावत बने रहें और संयुक्त सचिव (राजभाषा) के पद सृजित करने पर भी विचार किया जाए।	**सिफारिश स्वीकार नहीं की जाती है।**
48.	प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ/संबद्ध/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों/संगठनों में एक राजभाषा संवर्ग स्थापित कर अपने राजभाषा कैडर से देश भर में स्थापित अपने सभी छोटे बड़े कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी/कर्मचारी को तैनात कर सकते हैं। इससे उन्हें पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे।	**यह सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई है कि जहां संभव हो वहां संवर्ग बनाया जाए तथा जहां संभव न हों वहां स्टाफ की पदोन्नति के लिए अन्य उचित व्यवस्था की जाए ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
49.	क्षेत्र "ग " मे हिन्दी कार्मिक की नियुक्ति पर उसे विशेष भत्ते के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए और साथ ही ऐसी तैनाती एक सीमित अवधि के लिए होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र "क" के अभ्यर्थी बेझिझक क्षेत्र "ग" में तैनाती स्वीकार कर लें।	**सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।**
50.	अनुवाद कार्य और राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी संवर्गों (चाहे वे मंत्रालय/विभाग में हों या अधीनस्थ कार्यालयों में) में पदनामों तथा वेतनमानों में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।	**सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।**
51.	सभी केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों के साथ-साथ "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों के नियंत्रण वाले सरकारी विद्यालयों में सभी विषयों की पढ़ाई दसवीं स्तर तक हिन्दी माध्यम से तत्काल शुरु की जानी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को भी एक विषय के रुप में रखा जा सकता है। एक निर्धारित समय के उपरांत स्थिति की समीक्षा करके इसका विस्तार "ग" क्षेत्र में भी किया जाए।	**संस्तुति स्वीकार नहीं की गई ।**
52.	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, अनुसंधान तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में प्राध्यापकों की भर्ती में मैट्रिक स्तर तक का हिन्दी ज्ञान अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्हें अपना विषय हिन्दी में पढ़ाने में कोई कठिनाई न हो।	**यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।**
53.	सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रुप से हिन्दी विभाग खोले जाएं और उनमें स्नात्तकोत्तर स्तर के हिन्दी पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
54.	सर्व शिक्षा अभियान जैसे राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रमों में केवल हिन्दी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की जानी चाहिए।	**यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
55.	विश्वविद्यालयों/तकनीकी/व्यावसायिक/अनुसंधान संस्थाओं आदि की प्रवेश परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प अनिवार्य किया जाए।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि विश्वविद्यालयों, तकनीकी, व्यावसायिक अनुसंधान संस्थाओं आदि की परीक्षाओं में उत्तर देने के लिए अन्य भाषाओं के साथ हिंदी को विकल्प रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श तथा राज्य सरकारों की सहमति से उचित कार्रवाई करे ।**
56.	रेडियो/टेलीविजन जैसे इलैक्ट्रानिक संचार माध्यमों के जरिए होने वाले शैक्षणिक प्रसारण केवल हिन्दी में सुनिश्चित किये जाएं क्योंकि इनकी पहुंच दूर-दराज के क्षेत्रों तक रहती है।	**देश में भाषायी विविधता को देखते हुए संस्तुति इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि रेडियो/दूरदर्शन के जरिए भारत सरकार द्वारा प्रयोजित शैक्षणिक प्रसारणों में हिंदी माध्यम के प्रसारणों को समुचित/पर्याप्त समयावधि प्रदान की जाए ।**
57.	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जैसे संगठन उनके द्वारा हिन्दी/द्विभाषी प्रकाशित पुस्तकों की विषयवार सूचियां विद्यालयों, विश्व विद्यालयों तथा अनुसंधान और व्यावसायिक संस्थानों को उपलब्ध कराएं और संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें उन पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी दें।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
58.	केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य संस्थानों के विभागीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों में अत्यन्त तकनीकी विषयों को छोड़कर सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यम से पढ़ाये जाने की व्यवस्था की जाए।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि सभी सेवाकालीन प्रशिक्षणों को प्रमुखतः हिंदी भाषा के माध्यम से और गौणतः मिली-जुली भाषा के माध्यम से चलाया जाए ।**
59.	प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में उनके द्वारा अपने संस्थानों में हिन्दी के प्रयोग के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया जाए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
60.	सार्वजनिक क्षेत्र के नए पंजीकृत होने वाले सभी उपक्रमों/निगमों का नामकरण अनिवार्य रूप से हिन्दी में किया जाए। उपक्रमों/निगमों के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो हिन्दी के साथ अंग्रेजी नाम भी पंजीकृत कराया जा सकता है।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
61.	उपक्रमों/निगमों में विद्यमान सभी स्वदेशी और विदेशी यंत्रों/संयत्रों पर समस्त विवरण हिन्दी या द्विभाषी रूप में दर्ज किए जाएं।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
62.	भविष्य में सभी उपक्रमों/निगमों के प्रतीक चिह्न/लोगो या तो द्विभाषी अथवा चित्रात्मक बनवाए जाएं।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
63.	उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के नए उत्पादों और ब्रांडों के नाम हिन्दी में ही रखे जाएं ताकि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उनकी अलग पहचान बनी रहे।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि भारत में प्रचलित हिंदीतर नाम या वे नाम जो कि उत्पाद/ब्रांड की बेहतर जानकारी/पहचान देते हैं, को छोड़कर अन्य सभी उत्पाद/ब्रांड नाम हिंदी में रखे जाएं ।**
64.	उपक्रमों/निगमों द्वारा निर्यात योग्य समस्त सामग्री पर आवश्यक विवरण हिन्दी या द्विभाषी रूप में ही अंकित किए जाएं।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
65.	उपक्रमों/निगमों के ब्रोशर, बिल-बाउचर जैसी मुद्रित सामग्री और प्रचार-प्रसार संबंधी समस्त सामग्री अनिवार्य रूप से हिन्दी अथवा द्विभाषी रूप में प्रकाशित की जाए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
66.	सभी उपक्रमों/निगमों की वेबसाइटें शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में तैयार की जानी चाहिए तथा उन पर वे अपने कार्य-कलापों और उत्पादों के बारे में अंग्रेजी के साथ-साथ अनिवार्य रूप से हिन्दी में भी जानकारी उपलब्ध कराएं।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
67.	उपक्रमों/निगमों में अनुवाद व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए यथावश्यक हिन्दी पद सृजित किए जाएं और उपक्रमों/निगमों के मुख्यालय स्तर पर केन्द्रीयकृत अनुवाद पैनल बनाए जाएं ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर अपने कारपोरेट और सहयोगी कार्यालयों/कंपनियों को तत्काल अनुवाद उपलब्ध करा सकें।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
68.	उपक्रमों/निगमों के सभी कम्प्यूटरों पर हिन्दी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से डाले जाएं। यह सुविधा उनकी विदेश-स्थित शाखाओं में भी उपलब्ध कराई जाए।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
69.	अंग्रेजी के अखबार में भी हिन्दी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं और हिन्दी के अखबार में अंग्रेजी के विज्ञापन दिए जा सकते हैं। अतः सभी कार्यालय विज्ञापनों को द्विभाषी रूप में दें।	**सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
70.	विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50% हिन्दी पर खर्च किया जाए और 50% अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषाओं पर किया जाए।	**सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली जाए कि सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें ।**
71.	पद सृजन संबंधी प्रक्रिया सरल एवं सुविधाजनक बनाई जाए ताकि पद सृजन में अनावश्यक विलंब न हो। वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा हिन्दी पदों के सृजन पर किसी तरह की रोक न लगाई जाए। प्रत्येक छोटे-बड़े कार्यालय में, विशेष रूप से " ग " क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में, कार्य की प्रकृति व आवश्यकता के आधार पर हिन्दी पदों के सृजन के लिए, वर्तमान मानकों में शिथिलता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है ।**
72.	हिन्दी से संबंधित नए सृजित एवं पहले से रिक्त पड़े सभी पद तत्काल प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएं। यदि किसी कारणवश कोई हिन्दी पद तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय से न भरा गया हो तो भी उसे आगे भरने के लिए वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कोई रोक न लगाई जाए।	**राजभाषा विभाग इस संबंध में मत्रिमंडल सचिवालय को सचिवों की समिति के अनुमोदन के लिए भेजे गए प्रस्ताव का परिणाम आने पर तदनुसार कार्रवाई करे ।**
73.	विदेश मंत्रालय सभी पासपोर्ट कार्यालयों में उपलब्ध कंम्प्यूटरों पर द्विभाषी रूप में काम करने की सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि पासपोर्टों में प्रविष्टियां द्विभाषी हों और उन्हें द्विभाषी जारी किया जा सके ।	**सिफारिश स्वीकार की जाती है । विदेश मंत्रालय इस संबंध में एक कार्य योजना बनाकर सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए आगामी कार्रवाई करे ।**
74.	वर्ष 2008 से केन्द्रीय सरकारी सेवा में आने से पहले ही "क", "ख" , "ग" तथा "घ" सभी वर्गों में होने वाली सीधी भर्ती के दौरान ही हिन्दी संबंधी ज्ञान की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाए ताकि बाद में प्रशिक्षण संबंधी तमाम परेशानियों एवं बाध्यताओं से बचा जा सके। हिन्दी संबंधी न्यूनतम योग्यता भी "क" "ख" तथा "ग" वर्ग के मामले में कम-से-कम दसवीं कक्षा अथवा उससे अधिक हो सकती है। वर्ग "घ" के लिए यह योग्यता मिडिल/आठवीं कक्षा तक शिथिल की जा सकती है।	**सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।**

क्र.सं.	सिफारिश	राष्ट्रपति जी के आदेश
75.	कर्मचारियों के हिन्दी का ज्ञान एवं उनके द्वारा किए गए हिन्दी कार्य का ब्यौरा क्रमशः सेवा पंजिका तथा गोपनीय रिपोर्ट में अंकित किया जाए। साथ ही, हिन्दी संवर्ग को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के संवर्गों से संबंधित पदोन्नतियों के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समितियाँ, पदोन्नति के विचारार्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए हिन्दी कार्य का मूल्यांकन कर उसे बोनस अंक प्रदान करें।	**सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है ।**

(पी.वी.वल्सला जी.कुट्टी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय,उपराष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार के कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत के विधि आयोग तथा बार कॉऊसिल ऑफ इंडिया आदि को भेजी जाए ।

इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित करवाया जाए ।

(पी.वी.वल्सला जी.कुट्टी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या I/20012/07/2005-रा.भा.(नीति-1) दिनांकः 02जुलाई, 2008

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को भी सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें ।
2. भारत की सभी राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्र ।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली ।
4. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
7. भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली ।
8. विधि आयोग, नई दिल्ली ।
9. बार कॉउसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली ।
10. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे इस संकल्प को देश के सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दें ।
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
12. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
13. भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
14. बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।
15. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उद्योग मंत्रालय, सी.जी.ओ.कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
16. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
17. निदेशक, जन सम्पर्क (गृह), प्रेस सूचना का कार्यालय, नई दिल्ली ।
18. संसद का पुस्तकालय, संसद भवन, नई दिल्ली ।
19. निदेशक (अनुसंधान), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ('**राजभाषा भारती**' में प्रकाशनार्थ) ।
20. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ('**ब्यूरो वार्ता**' में प्रकाशनार्थ) तथा इसके अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र।
21. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ('**अनुशीलन**' में प्रकाशनार्थ) तथा इसके उप-केन्द्र तथा हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालय ।
22. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
23. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स-वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली ।
24. अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, कम्यूनिटी सेंटर, झंडेवालान, नई दिल्ली ।
25. निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
26. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

(पी.वी.वल्सला जी कुट्टी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार